संख्या– 16 /ix-1/2012–344/2010

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून
14 MAY 2012
संख्या 2402

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 *देहरादून,* *दिनांक 8 मई 2012*

विषयः–परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत सहायक अभियोक्ता परिवहन के एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–341/अधि0/एक–1/2010 दिनांक 29 नवम्बर 2010 तथा परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या–690/59/स0परि0/कैम्प/2001 दिनांक 25.06.2001 के कम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–690/59/स0परि0/कैम्प/2011 दिनांक 25 जून, 2001 तथा संख्या–113परि/545 परि0/2003 दिनांक 26–02–2004 द्वारा सृजित सहायक अभियोक्ता परिवहन के 01 पद का विभाग में लम्बित वादों के दृष्टिगत पर्याप्त न होने के फलस्वरूप 01 अतिरिक्त अस्थाई पद (पूर्व वेतनमान रू0 5500–9000) पुनरीक्षित वेतन वैंण्ड ₹ 9300–34800 ग्रेड वेतन ₹ 4200 में आदेश जारी करने की तिथि से 28 फरवरी, 2013 तक की अवधि के लिए, बशर्ते कि इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पद सृजन के फलस्वरूप सहायक अभियोक्ता परिवहन के कुल 02 पद सृजित होगें जिनमें एक पद गढ़वाल सम्भाग तथा एक पद कुमाऊँ सम्भाग हेतु सृजित होगा।

3– उक्त पद धारक को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुमन्य किये गये मंहगाई एवं अन्य भत्ते देय होगें।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–342/XXVII(2)/2012 दिनांक 03 मई, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये गये हैं।

भवदीय

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

D.T.C.

आवश्यक कार्यवाही

G.O.2012.DOC

(डॉ॰ उमाकान्त पवार)
आयुक्त परिवहन
उत्तराखण्ड

संख्या– 16 /ix-1/2012–344/2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव।

G.O.2012.DOC

संख्या– 114 /IX/543/2011

प्रेषक,

एस० रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 *देहरादून* *दिनांक 25 अप्रैल, 2011*

विषय– परिवहन विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुनर्गठन।

महोदय,

परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या–213/ix/543/2008 दिनांक 05–08–2008 के द्वारा परिवहन विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए संशोधित किया गया था। कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–183/XXX(2)/2010 दिनांक 11 फरवरी 2010 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करने के निर्देश दिये गये है एवं जिन कार्यालयों में 10 या इससे अधिक मिनिस्ट्रीयल कर्मी हों वहां पर 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2– अतः सहायक परिवहन आयुक्त के पत्र संख्या–14/अधि/एक–1/2010–11 दिनांक 18–01–2011 के क्रम में परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या–213/ix/543/2008 दिनांक 05–08–2008 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11–02–2010 के प्राविधान के अनुसार परिवहन विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन करते हुए निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों का पुनर्गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

आदेश
Fw No. R
25/4/11

1–परिवहन आयुक्त कार्यालय

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रतिशत	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पद
1	2	3	4	5
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	—	01
2	प्रशासनिक अधिकारी	11	20%	08
3	मुख्य सहायक	09	18%	08
4	प्रवर सहायक	09	30%	13
5	कनिष्ठ सहायक	14	32%	14
	योग	44		44

2 संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय

क0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रतिशत	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पद
1	2	3	4	5
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	--	--	15
2	प्रशासनिक अधिकारी	19	20%	39
3	मुख्य सहायक	69	18%	48
4	प्रवर सहायक	84	30%	80
5	कनिष्ठ सहायक	95	32%	85
	योग	267		267

2-- पुनर्गठन के फलस्वरूप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के सृजित होने वाले पद किसी भी कार्यालय में 01 से अधिक नहीं रखे जायेंगे।

3- उक्त पुर्नगठित 267 पदों में चैकपोस्टों हेतु स्वीकृत कनिष्ठ सहायक के 57 पद भी सम्मिलित हैं।

4 शासनादेश संख्या-213/ix/543/2008 दिनांक 05-07-2008 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्या- 114 /IX /543/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मण्डल नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन0आई0 सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव

संख्या– 213 /ix/543 /2008

प्रेषक,

एस0रामास्वामी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 05 अगस्त, 2008

विषय–परिवहन बिभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढॉचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग का पुनर्गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या क्रमशः 419/XXVii(3)/2005 दिनांक 13–09–2005 व संख्या–76/XXVii(7)/2006 दिनांक 03–06–2006 तथा संख्या–110/XXVii(7)/2006 दिनांक 29–06–2006 के क्रम में स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या–690/59/स0परि0कैम्प/2001 दिनांक 25 जून, 2001 एवं शासनादेश संख्या–113परि0/545(परि0)/2003 दिनांक 26 फरवरी, 2004 द्वारा परिवहन विभाग में मिनिस्टीरियल संवर्ग मे सृजित कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2, मुख्य सहायक (पूर्व में वरिष्ठ सहायक कम व0 डाटा इण्ट्री आपरेटर), प्रवर सहायक (पूर्व में वरिष्ठ लिपिक कम क0 डाटा इण्ट्री आपरेटर) तथा कनिष्ठ सहायक (पूर्व में कनिष्ठ लिपिक कम क0 डाटा इण्ट्री आपरेटर) के कुल सृजित 311 पदो का श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् पुनर्गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु पुनर्गठित पदों की संख्या	संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों हेतु पुनर्गठित पदों की संख्या	चैक पोस्टों हेतु	कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500–10500	01	–	–	01
2	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1	5500–9000	04	04	–	08
3	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	5000–8000	07	15	–	22
4	मुख्य सहायक	4500–7000	09	69	–	78
5	प्रवर सहायक	4000–6000	09	84	–	93
6	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	14	38	57	109
	योग		44	210	57	311

2— लिपिकीय सवंर्ग में उपरोक्तानुसार स्वीकृत पदों के नाम, वेतनमान एवं संख्या का उल्लेख संगत सेवा नियमों में प्राथमिकता के आधार पर संशोधन सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्व निर्गत आदेशों में उक्त मदों के नाम व संख्या भी उक्तवत संशोधित समझी जाय।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—1113/XXviii(7)/2008 दिनांक 23 जुलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
सचिव।

संख्या— /ix/ /2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, लेखा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— वित्त अनुभाग—3/7
5— एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय केन्द्र, देहरादून।
6— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।

संख्या– 113 परि0/545(परि0)/2003

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल,देहरादून ।

परिवहन अनुभाग, देहरादूनः दिनॉक 26 फरवरी, 2004

विषयः– परिवहन विभाग, उत्तरांचल के संरचनात्मक ढॉचे का पुनर्गठन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–690/59/स0परि0कैम्प/2001 दिनॉक 25,जून 2001 , जिसके द्वारा परिवहन विभाग, उत्तरांचल के संरचनात्मक ढॉचे का पुनर्गठन किया गया था, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में वाहनों की बढोत्तरी के फलस्वरूप परिवहन विभाग के कार्यो में पर्याप्त बढ़ोत्तरी होने से दूरस्थ जनपदों में वाहनों की चैकिंग न होने के फलस्वरूप अनधिकृत संचालन होने और परिवहन विभाग के लिए निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए, श्री राज्यपाल महोदय परिवहन विभाग, उत्तरांचल के उपरोक्त शासनादेश दिनॉक 25,जून 2001 में संशोधन करते हुए, परिवहन विभाग के संगठनात्मक ढॉचे का निम्नवत् पुनर्गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. परिवहन आयुक्त कार्यालय :–

2–परिवहन आयुक्त कार्यालय में बढ़े हुए कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए कमशः आडिट अनुभाग, एम0आई0एस0 अनुभाग एवं प्रविधित अनुभाग के नामों से 03 नये अनुभागों का सृजन करते हुए पूर्व में स्वीकृत पदों, जिनका उल्लेख तालिका के प्रस्तर– 4 में किया गया है, के अतिरिक्त प्रस्तर– 5 मे उल्लिखित अतिरिक्त पदों को आदेश निर्गत करने की तिथि से 29.02.2004 तक बशर्ते कि उसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जॉय, सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पूर्व में स्वीकृत पद	वर्तमान में स्वीकृत अतिरिक्त पद	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	परिवहन आयुक्त	संवर्गानुसार	01	–	01	
2.	अपर परिवहन आयुक्त	14300–18300	01	–	01	
3.	उप परिवहन आयुक्त	12000–16500	03	–	03	
4.	सहायकपरिवहनआयुक्त (प्रशासन)	10000–15200	01	–	01	

5.	वित्तनियंत्रक / व0लेखाधिकारी	[illegible]	01	–	01	
6.	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	8000–13500	02	–	02	
7.	सहायक लेखाधिकारी	6500–10500	01	–	01	
8.	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1	5500–9000	01	–	01	
9.	सहायक अभियोक्ता	5500–9000	01	–	01	
10.	संख्या सहायक	5000–8000	–	01	01	
11.	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	5000–8000	01	01	02	
12.	सम्परीक्षक / ज्येष्ठलेखा परीक्षक	5000–8000	01	–	01	
13.	लेखा परीक्षक	4000–6000	–	02	02	
14.	वैयक्तिक सहायक	5500–9000	–	01	01	
15.	आशुलिपिक कम कन्सोल आपरेटर	5000–8000	02	–	02	
16.	आशुलिपिक कम व0डाटा इन्ट्री आपरेटर	4000–6000	06	–1	05	
17.	संकलनकर्ता	4000–6000	–	01	01	
18.	वरिष्ठ सहायक कम व0डाटा इण्ट्री आपरेटर	4500–7000	06	–	06	
19.	वरिष्ठ लिपिक कम क0डाटा इण्ट्री आपरेटर	4000–6000	06	01	07	
20.	कनिष्ट लिपिक कम क0डाटा इण्ट्री आपरेटर	3050–4590	12	02	14	
21.	लेखाकार	5000–8000	01	–	01	
22.	सहायक लेखाकार	4000–6000	–	01	01	
23.	लेखालिपिक	3050–4590	01	–	01	
24.	चालक / प्रवर्तन चालक	3050–4590	09	–	09	
25.	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3050–4590	01	–	01	
26.	प्रवर्तन सिपाही	2750–4400	09	–	09	
27.	चपरासी / चौकीदार / सफाईकार	2550–3200	12	–	12	
	योग–		79	09	88	

3–आशुलिपिक कम वरिष्ठ डार्टा इन्ट्री आपरेटर के पूर्व में स्वीकृत 6 पदों में से एक पद अपग्रेड कर उसके स्थान पर वैयक्तिक सहायक का पद स्वीकृत किया जा रहा है ।

4–उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में वाहनों की संख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए परिवहन सम्बन्धी कार्यो के सुचारू सम्पादन तथा जनता को निकटस्थ स्थानों चपर वाहनों के पजीयंन एवं कर आदि जमा करनें की सुविधा उपलब्ध कराये जानें के दृष्टिकोण से अल्मोडा में एक नये सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की स्थापना करते हुए पूर्व से स्वीकृत संभागीय परिवहन कार्यालयों कमशः देहरादून, पौड़ी तथा हल्द्वानी में पूर्व में सृजित पदों का पुनर्निर्धारण करते हुए सभी चार कार्यालयों हेतु तालिका के प्रस्तर– 13 में उल्लिखत अतिरिक्त पदों को सृजित किये जाने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

संभागीय कार्यालयों में पूर्व स्वीकृत एवं कुल प्रस्तावित पदों का विवरण

क0 सं0	पदनाम	देहरादून		हल्द्वानी		पौढ़ी		अल्मोड़ा		योग		
		पूर्व स्वीकृतत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावि	वर्तमान में रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	सभागीयपरिवहन अधिकारी	01	01	01	01	01	01	--	01	03	04	01
2.	सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी	02	02	02	02	02	02	--	02	06	08	02
3.	यात्रीकर अधिकारी	01	01	01	01	01	01	–	01	03	04	01

	(प्रावि0)													
4.	यात्रीकर अधीक्षक	01	02	01	01	01	02	01	01	–	07	04	13	09
5.	मुख्य लिपिक	01	01	01	01	–	01	–	01	–	07	02	11	09
6.	लेखालिपिक	01	01	01	01	01	01	–	01	–	07	03	11	08
7.	वरिष्ठ सहायककम क0डाटाइण्ट्री आपरेटर	01	02	01	02	01	02	–	02	–	14	03	22	19
8.	वरिष्ठ लिपिक कम क0डाटाइण्ट्री आपरेटर	05	04	05	03	04	04	01	03	–	21	15	35	20
9.	कनिष्ट लिपिक कम कनिष्टडाटा इण्ट्रीआपरेटर	05	06	05	05	04	06	02	05	–	35	16	57	41
10.	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	01	01	01	01	01	01	01	01	–	07	04	11	07
11.	प्रवर्तन चालक	–	01	01	01	01	01	01	01	–	07	03	11	08
12.	प्रवर्तन सिपाही	04	05	04	04	04	05	03	04	–	28	15	46	31
13.	चपरासी	06	03	06	03	03	03	02	03	–	21	17	33	16
	योग–	28	30	29	25	22	30	13	25	–	175	92	285	193

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान में स्थापित 12 चेकपोस्टों के अतिरिक्त कौडियाला (कोटद्वार– नजीबाबाद मार्ग), नादेही (धामपुर– काशीपुर मार्ग), जसपुर (धामपुर– अफजलगढ़– काशीपुर मार्ग), दौराहा (काशीपुर – रामपुर मार्ग) मेलाघाट (खटीमा– मेलाघाट–पुरनपुर मार्ग), बनबसा (बनबसा– नेपाल मार्ग), त्यूनी (हिमाचल प्रदेश की सीमा पर) अर्थात कुल 7 स्थानों पर अतिरिक्त चेकपोस्ट स्थापित करने हेतु निम्नलिखित पदों को उनके सम्मुख उल्लिखित वेतनमानों में आदेशा निर्गत करने की तिथि से 29.02.2004 तक, बशर्ते कि इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जॉय, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0) में	पूर्व में स्वीकृत पदो की संख्या	वर्तमानमें स्वीकृत अतिरिक्त पद	कुल स्वीकृत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	यात्रीकर अधिकारी	6500–10500	–	04	04	
2.	यात्रीकर अधीक्षक	5000–8000	36	21	57	
3.	कनिष्ट लिपिक कम क0डाटा इण्ट्री आपरेटर	3050–4590	12	45	57	
4.	प्रवर्तन सिपाही	2750–4400	72	42	114	
	योग–		120	112	232	

उपरोक्त पदो के पदधारकों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो भी नियमानुसार अनुमन्य होगें, देय होगें ।

उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थाई अभिवृद्वि के रूप में माने जायेगें। तकनीकी पदों के अतिरिक्त समूह ग व घ के पदों को यथासम्भव सरप्लस मूल/ छंटनी शुदा कार्मिकों से समायोजन द्वारा भरें जायेगें और इसके द्वारा पदों को भरा जाना सम्भव न होने पर ही सीधी भर्ती से पदों को भरा जायेगा।

4.	संभागीयनिरीक्षक (प्राविधिक)	01	01	01	01	01	01	–	01	03	04	01
5.	सहा0[illegible] (प्राविधिक)	01	01	01	01	01	[illegible]	[illegible]	01	03	04	01
6.	यात्रीकर अधीक्षक	01	02	01	02	01	02	–	02	03	08	05
7.	प्रशासनिक अधिकारी	01	–	–	–	–	–	–	–	01	–	– 01
8.	कार्यालयअधीक्षक ग्रेड–2	–	01	01	01	–	01	–	01	01	04	03
9.	मुख्य लिपिक	–	–	–	–	01	–	–	–	01	–	– 01
10.	लेखाकार	01	01	01	01	01	01	–	01	03	04	01
11.	लेखालिपिक	02	01	01	01	01	01	–	01	04	04	–
12.	आशुलिपिक	01	01	01	01	01	01	–	01	03	04	01
13.	वरिष्ठ सहायक कम क0डाटा इण्ट्री आपरेटर	05	05	04	05	03	03	–	03	12	16	04
14.	वरिष्ठ लिपिक कम क0डाटा इण्ट्री आपरेटर	16	12	15	06	08	06	–	06	39	30	–09
15.	कनिष्ट लिपिक कम क0डाटाइण्ट्री आपरेटर	12	16	12	11	05	11	–	11	29	49	20
16.	प्रर्वतन पर्यवेक्षक	02	01	02	01	01	01	–	01	05	04	–01
17.	प्रर्वतन चालक	02	02	02	02	02	02	–	02	06	08	02
18.	प्रर्वतन सिपाही	05	06	05	06	05	06	–	06	15	24	09
19.	दफ्तरी	01	01	01	01	01	01	–	–	03	03	–
20.	चपरासी	10	10	09	07	06	06	–	06	25	29	04
	योग–	65	65	61	51	42	48	–	47	168	211	55

नोटः– 1. प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य लिपिक का पूर्व में सृजित एक–एक पद अर्थात कुल 02 पदो को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है ।

2. वरिष्ठ लिपिक कम क0डाटा इण्ट्री आपरेटर के पूर्व में सृजित कुल 39 पदों में से उपरोक्त तालिका में दिये गये विवरणानुसार 09 पदों की तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है ।

3. प्रर्वतन पर्यवेक्षक के पूर्व में स्वीकृत 05 पदों में से उपरोक्त विवरणानुसार एक पद समाप्त किया जाता है ।

4. दफ्तरी के तीन पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाता है ।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर– 4 में उल्लिखित सुविधाऐं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय बागेश्वर, टनकपुर, टिहरी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं कोटद्वार में उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों की स्थापना करने तथा पूर्व में स्वीकृत उपसम्भागीय कार्यालय कमशः हरिद्वार, ऋषिकेश, उधमसिंह नगर एवं पिथौरागढ़ में पूर्व में सृजित पदो का पुनर्निर्धारण निम्नवत् करते हुए नये स्वीकृत 07 कार्यालयों को सम्मिलित करते हुए निम्नवत् तालिका के प्रस्तर– 15 के अनुसार अतिरिक्त पदों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 29.02.2004 तक, बशर्ते कि इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जॉय, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते है :–

उप संभागीय कार्यालयों में पूर्व स्वीकृत एवं कुल प्रस्तावित पदों का विवरण

क्र सं.	पदनाम	हरिद्वार		ऋषिकेश		उधमसिंह नगर		पिथौरागढ़.		नयेप्रस्तावित (')अन्य 07उप संभागों हेतु		योग		
		पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पुर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	वर्तमान में स्वीकृत अतिरिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी	02	02	02	01	01	02	01	01	–	07	06	13	07
2.	यात्रीकर अधिकारी	–	01	–	01	–	01	–	01	–	07	–	11	11
3.	सहा0संभागीय निरीक्षक	01	01	01	01	01	01	01	01	–	07	04	11	07

उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्त वर्ष, 2003-2004 के आय-व्यय में अनुदान संख्या 24 के लेखाशीर्षक 5055 – सड़क परिवहन–00–आयोजनेत्तर– 001 निदेशन तथा प्रशासन – 03 परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान – 00 के अन्तर्गत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय संख्या – 2928/वित्त अनुभाग–3/2004 दिनांक: 25 फरवरी 2004 में प्राप्त की सहमति से जारी किए जा रहे है ।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल),
प्रमुख सचिव

संख्या– परि0/545(परि0)/2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा उत्तरांचल देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी/कुमाउ मण्डल नैनीताल ।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
4. अपर परिवहन आयुक्त उत्तरांचल देहरादून ।
5. वित्त संसाधन अनुभाग–3 ।
6. नियोजन प्रकोष्ठ अनुभाग ।
7. एन0आई0सी0 उत्तराचंल सचिवालय केन्द्र देहरादून ।
8. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(गोबिन्द बल्लभ ओली),
उप सचिव।

संख्या– 878 /59/स0परि0/कैम्प/2001

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
सचिव,परिवहन
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल,
देहरादून ।

देहरादून:दिनॉक 3। अगस्त, 2001

विषय:– शासनादेश संख्या–690/59/स0परि0/कैम्प/2001 दिनांक: 25–6–2001 द्वारा स्वीकृत पदों का कार्यालयवार आवंटन की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–690/59/स0परि/कैम्प/2001, दिनॉक 25 जून, 2001,के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग के मुख्यालय को छोड़कर परिवहन विभाग के फील्ड स्तरीय संभागों/कार्यालयों के लिये इस पुनर्गठन के अधीन स्वीकृत विभिन्न संवर्गो में कुल पदों का कार्यालयवार पदस्थापना का वर्गीकरण कार्यालयों की स्थिति(लोकेशन),उपयोगिता, कार्य के दबाव व प्रशासनिक तथा वित्तीय दृष्टि से संलग्न विवरण के अनुसार प्रेषित किया जा रहा है ।

कृपया तदनुसार अतिशीघ्र कार्मिकों की पदस्थापना कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संभागों/कार्यालयों में विभिन्न संवर्गो में कुल स्वीकृत पदों के पदस्थापना के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सभी शासनादेशों एवं अन्य आदेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

पी0सी0शर्मा
सचिव परिवहन

संख्या– 878 /59/स0परि0/कैम्प/2001,समदिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार,उत्तरांचल, 5–ए,थार्न हिल,इहालाबाद ।
2– आयुक्त,गढ़वाल मण्डल,पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल,नैनीताल ।
3– समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल ।
4– अपर सचिव, परिवहन,उत्तरांचल शासन ।
5– समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
6– अपर परिवहन आयुक्त,उत्तरांचल,देहरादून ।
7– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण,उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
8– संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी ।
9– परिवहन/ना0उड्डयन अनुभाग ।
10– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव परिवहन

शासनादेश संख्या– 878/59/स0परि0/कैम्प/2001,दिनॉक 31 अगस्त, 2001 का संलग्नक

…देश सं… -690/59/स0परि0/कैम्प/2001 दिनांक: 25–6–2001 द्वारा स्वीकृत पदों का कार्यालयवार आवंटन की स्वीकृति ।

क्र0 सं0	पदनाम	पौड़ी	देहरादून	हरिद्वार	ऋषिकेश (टिहरी)	हल्द्वानी	उधमसिंह नगर	पिथौरागढ	योग
1.	संभागीय परिवहन अधिकारी	01	01	—	—	01	—	—	03
2.	सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन	01	01	01	01	01	—	—	05
3.	सहायक सं0परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	01	01	01	01	01	01	01	07
4.	यात्रीकर अधिकारी	01	01	—	—	01	—	—	03
5.	प्रशासनिक अधिकारी	—	01	—	—	—	—	—	01
6.	संभा0निरीक्षक (प्राविधिक)	01	01	—	—	01	—	—	03
7.	सहा0संभा0निरीक्षक (प्राविधिक)	01	01	01	01	01	01	01	07
8.	यात्रीकर अधीक्षक	01	01	01	01	01	01	01	07
9.	लेखाकार	01	01	—	—	01	—	—	03
10.	लेखालिपिक	01	02	01	01	01	01	—	07
11.	आशुलिपिक	01	01	—	—	01	—	—	03
12.	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	—	—	—	—	01	—	—	01
13.	मुख्य लिपिक	01	—	01	01	—	—	—	03
14.	वरि0सहायक/ व0डे0इ0आपरेटर	03	05	01	01	04	01	—	15
15.	वरि0लिपिक/ व0डे0इ0आपरेटर	08	16	05	05	15	04	01	54
16.	क0लिपिक/ क0डे0इ0आपरेटर	05	12	05	05	12	04	02	45
17.	दफतरी	01	01	—	—	01	—	—	03
18.	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	01	02	01	01	02	01	01	09
19.	प्रवर्तन चालक	02	02	—	01	02	01	01	09
20.	प्रवर्तन सिपाही	05	05	04	04	05	04	03	30
21.	चपरासी/ चौकीदार/ सफाईकार	06	10	06	06	09	03	02	42
	योगः–	42	65	28	29	61	22	13	260

चैकपोस्टों के लिये स्टाफः– 12 चैकपोस्ट)

यात्रीकर अधीक्षक	– 36
क0लिपिक	– 12
प्रवर्तन सिपाही	– 72
योगः–	120

कुल पदों का योग– 380 (तीन सौ अस्सी मात्र)

(पी0सी0शर्मा)

सचिव परिवहन

संख्या– 690 /59/रा०परि०/कैम्प/2001

पी०सी०शर्मा,
सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल,
देहरादून ।

देहरादून:दिनांक 25 जून,2001

विषय:– परिवहन विभाग, उत्तरांचल के पुनर्गठन का प्रस्ताव ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य गठन के फलस्वरूप परिवहन विभाग,उत्तरांचल के संगठनात्मक ढाँचे,जिसका विवरण निम्नवत् है,पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–परिवहन आयुक्त संगठन के कुल पदों का विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	संगठन के लिये कुल स्वीकृत पद
1	2	3	4
1–	परिवहन आयुक्त	संवर्गानुसार	1
2–	अपर परिवहन आयुक्त	14300–18300	1
3–	उप परिवहन आयुक्त	12000–16500	3
4–	सहायक परिवहन आयुक्त	10000–15200	1
5–	वित्त नियन्त्रक / वरिष्ठ लेखाधिकारी	संवर्गानुसार	1
6–	संभागीय परिवहन अधिकारी	10000–15200	3
7–	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	8000–13500	14
8–	यात्री कर अधिकारी	6500–10500	3
9–	प्रशासनिक अधिकारी	5500–9000	1
10–	सहायक लेखाधिकारी	6500–10500	1
11–	संभागीय निरीक्षक(प्राविधिक)	5500–10500	3
12–	सहायक संभागीय निरीक्षक(प्राविधिक)	5000–8000	7
13–	यात्रीकर अधीक्षक	5000–8000	43
14–	सहायक अभियोक्ता परिवहन	5500–9000	1
15–	लेखाकार	5000–8000	4
16–	आशुलिपिक कम कन्सोल आपरेटर/ आशुलिपिक कम वरिष्ट डेटा इन्ट्री ऑपरेटर	5000–8000 4000–6000	11
17–	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1	6500–10500	1
18–	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–11	5000–8000	2
19–	मुख्य लिपिक	4500–7000	3

20-	वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डेटा इन्ट्री ऑपरेटर	4500-7000	21
21-	वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डेटा इन्ट्री ऑपरेटर	4000-6000	60
22-	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ट डेटा इन्ट्री ऑपरेटर	3050-4590	69
23-	लेखा लिपिक	4000-6000	8
24-	प्रवर्तन चालक	3050-4590	18
25-	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3050-4590	10
26-	दफ्तरी	2610-3540	3
27-	चपरासी / चौकीदार सफाई कार	2550-3200	54
28-	सम्प्रेक्षक	5000-8000	1
29-	प्रवर्तन सिपाही	2750-4400	111
	योग:-		459

2- उक्त के अन्तर्गत कुल 79 पद परिवहन आयुक्त कार्यालय के लिये सम्मिलित किये गये है जिनका विवरण संलग्नक -2 में दिया गया है । परिवहन आयुक्त कार्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिये 7 अनुभागों की स्थापना की स्वीकृति संलग्नक-3 में दी जा रही है ।

3- संभाग / क्षेत्रीय कार्यालयों के सम्बन्ध में पदों का विवरण संलग्नक-5 में दिया जा रहा है । संभाग / क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु कुल सृजित 380 पदों का आमेलन उक्त क्रमांक-1 में दिये गये विवरण में सम्मिलत कर लिया गया है ।

4- परिवहन विभाग के कर संग्रह केन्द्रों का पुनर्गठन कर कुल 12 कर संग्रह केन्द्रों के सम्बन्ध में विवरण संलग्नक-4 में दिया जा रहा है । इन केन्द्रों के लिये आवश्यक स्टाफ का आमेलन क्रमांक-1 पर दिये गये विवरण के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है ।

5- प्रस्तावगत पद आवश्यकतानुसार ही भरे जॉय । इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रवर्तन सिपाहियों की व्यवस्था व्यापार कर तथा परिवहन विभाग की चौकियों के लिये संयुक्त रूप से किये जाने पर विचार कर लिया जाय तथा चौकियों के संचालन के सम्बन्ध में प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु यथोचित अन्तर विभागीय समन्वय की व्यवस्था भी की जाय ।

6- पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

7- पदों की भर्ती /पदोन्नति आदि में नये दिशा निर्देशों तक पूर्व प्रचलित विभागीय नियमावली आदि ही प्रभावी रहेंगी ।

8- परिवहन आयुक्त कार्यालय का मुख्यालय देहरादून में स्थापित किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

भवदीय,

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार

(पी०सी०शर्मा) 7/1
सचिव ।

संख्या- 690 /59/सा0परि0/कैम्प/2001,तद्‌दिनाँकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव वित्त,उत्तरांचल ,शासन ।
2- सचिव कार्मिक,उत्तरांचल शासन !
3- पुनर्गठन आयुक्त,उत्तरांचल,लखनऊ ।
4- आयुक्त गढ़वाल मण्डल कुमाऊ/गढ़वाल ।
6- अपर परिवहन आयुक्त,उत्तरांचल,कैम्प-देहरादून ।
7- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी,उत्तरांचल ।
8- समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
9- पर्यटन परिवहन शाखा ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा) 2/16
सचिव ।

संलग्नक-2

परिवहन आयुक्त,उत्तरांचल के कार्यालय के लिये प्रस्तावित पदों का विवरण

संख्या	पदनाम	वेतनमान	उप परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं अपर परिवहन आयुक्त कार्यालय के पूर्व से स्वीकृत पदों का समायोजन करने के बाद उपलब्ध पद	परिवहन आयुक्त कार्यालय के लिये स्वीकृति हेतु प्रस्तावित पद	कुल पद	भर्ती का श्रोत
	2	3	4	5	6	7
	परिवहन आयुक्त	संवर्गानुसार	—	1	1	शासन स्तर पर
	अपर परि0आयु0	14,300–18,300	1	—	1	विभागीय पदोन्नति
	उप परि0आयु0	12,000–16,500	1	2	3	-तदैव-
	सहा0परि0आयु0	10,000–15,200	—	1	1	-तदैव
	स0स0प0अ0(प्रा0)	8,000–13,500.	—	1	1	-तदैव-
	स0स0प0अ0मुख्या	8,000–13,500	—	1	1	पदोन्नति / सीधी भर्ती से
	वित्तनि0 / वरि0लेखाधिकारी	संवर्गानुसार	—	1	1	वित्त सेवा
	सहा0लेखाधिकारी	6,500–10,500	1	—	1	वित्त सेवा
	सहा0अभि0परिवहन	5,500–9,000	2	—	1	सीधी भर्ती से
	का0अधी0ग्रेड–1	6,500–10,500	—	1	1	विभागीय पदोन्नति से
	का0अधी0ग्रेड–II	5,000–8,000	♦♦ 1	—	1	-तदैव-
	आशुलिपिक कम कन्सोल आपरेटर	5,000–8,000	1	1	2	-तदैव-
	आशुलिपिक कम वरिष्ट डेटा इन्ट्री आपरेटर	4,000–6,000	1	5	6	सीधी भर्ती से
	वरिष्ट सहायक कम वरिष्ट डेटा इन्ट्री आपरेटर	4,500–7,000	1	5	6	पदोन्नति से
	वरिष्ट लिपिक कम वरिष्ट डेटा इन्ट्री आपरेटर	4,000–6,000	3	3	6	पदोन्नति से

23/1

	कनिष्ट लिपिक कम डेटा इन्ट्री आपरेटर	3,050–4,590	5	7	12	यथा संभव छटनीशुदा कर्मियों से तथा छटनी शुदा कर्मियों के उपलब्ध न होने की दशा में सीधी भर्ती से
17	लेखाकार	5,000–8,000	1	—	1	प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति से.
18	लेखा लिपिक	4,000–6,000	—	1	1	——तदैव
19	चालक / प्र0चालक	3,050–4,590	1	8	9	छटनीशुदा कर्मियों से तथा छटनीशुदा कर्मी उपलब्ध न होने की दशा में सीधी भर्ती से
20	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3,050–4,590	—	1	1	पदोन्नति / सीधी भर्ती से
21	प्रवर्तन सिपाही	2,750–4,400	—	9	9	सीधीभर्ती / पदोन्नति से
22	चपरासी / चौकीदार / सफाई कार	2,550–3,200	4	8	12	छटनीशुदा कर्मियों से तथा छटनीशुदा कर्मियों के उपलब्ध न होने की दशा में सीधी भर्ती से
23	सम्प्रेक्षक	5,000–8,000	1	—	1	प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती से
	योगः—		24	55	79	

◆◆पूर्व में दो पद स्वीकृत थे किन्तु एक पद को अपग्रेड करके नया कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1 कर दिया है ।

(पी0सी0शर्मा)
सचिव परिवहन
उत्तरांचल

संलग्नक–3

घरिवहन आयुक्त उत्तरांचल कार्यालय के लिये प्रस्तावित अनुभागों एवं उनके लिये प्रस्तावित पदों का विवरण

	अनुभाग	कार्यालय अधीक्षक –ग्रेड–1	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	वरिष्ट सहायक	वरिष्ट लिपिक	कनिष्ट लिपिक	लेखा कार	लेखा लिपिक	समीक्षक	सहायक अभियोक्ता परिवहनं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	एस0टी0ए0	—	—	1	1	2	—	—	—	---
2	अधिष्ठान / सतर्कता / सामान्य प्रशासन	1	1	1	2	3	—	—	—	—
3	कर / रूल्स	—	—							
4	प्रवर्तन	—	—	1	1	2	—	—	—	---
5	संख्या एवं सैन्ट्रलपूल	—	—	1 1	1 1	2 2	— —	— —	— —	— —
6	लेखा	—	—							
7	विधिएव न्यायाधिकरण	—	—	— 1	— —	— 1	1 —	1 —	1 ---	— 1
	योग:–	1	1	6	6	12	1	1	1	1

उपरोक्त के अतिरिक्त अधिकारियों की संख्या के अनुरूप तथा मुख्यालय पर प्रवर्तन दल की उपलब्धता हेतु निम्नलिखित पद भी स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है:–

1–आशुलिपिक वेतनमान 5,000–8,000 — 2 पद
2–आशुलिपिक वेतनमान 4,000–6,000 — 6 पद
3–चालक / प्रवर्तन चालक — 9 पद
4–प्रवर्तन पर्यवेक्षक — 1 पद
5–प्रवर्तन सिपाही — 9 पद
6–चपरासी / चौकीदार / सफाईकार — 12 पद

(पी0सी0शर्मा) 2/7/1
सचिव परिवहन
उत्तरांचल शासन

रांलग्नक–4

कर संग्रह केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव ।

(प्रत्येक कर संग्रह केन्द्र पर 4 यात्री कर अधीक्षक,4 कनिष्ट लिपिक,6 प्रवर्तन सिपाही एवं 1 चपरासी का मानक निर्धारित था,जबकि उत्तरांचल में प्रत्येक कर संग्रह केन्द्र पर 3 यात्री कर अधीक्षक,3 कनिष्ट लिपिक,6 प्रवर्तन सिपाही एवं 1 चपरासी का मानक रखा गया है)

क0 सं0	कर संग्रह केन्द्रों का नाम	पूर्व स्वीकृत पद	प्रस्तावित पद	कुल योग
1	2	3	4	5
1	1–कुल्हाल DDN 2–मंगलौर HDR 3–आशारोड़ी DDN 4–रुद्रपुर USN 5–बाजपुर USN 6–ठाकुरद्वारा USN 7–चिड़ियापुर HDR 8–इकबालपुर HDR 9–तिमली DDN 10–पुलभट्टा HLD USN 11–गंझोला HLD USN 12–सितारगंज HLD USN			
	प्रस्तावित पद			
	1–यात्रीकर अधीक्षक	---	36	36
	2– कनिष्ट लिपिक	---	36	36
	3–सिपाही	---	72	72
	4–चपरासी / सफाई कार	---	12	12

(पी0सी0शर्मा)
सचिव परिवहन
उत्तरांचल ।

2/6

7

संलग्नक–5

संभागीय कार्यालयों के लिये प्रस्तावित पदो का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	पूर्व से स्वीकृत पद	पुनर्गठन के अन्तर्गत प्रस्तावित पद	संगठन में कुल पद
1	2	3	4	5
1	संभागीय परिवहन अधिकारी	3	—	3
2	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	12	—	12
3	यात्री कर अधिकारी	3	—	3
4	प्रशासनिक अधिकारी	—	1	1
5	संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	3	—	3
6	सहायक संभागीय निरीक्ष(प्राविधिक)	6	1	7
7	यात्रीकर अधीक्षक	10	33	43
8	लेखाकार	1	2	3
9	आशुलिपिक	3	—	3
10	कार्यालय अधीक्षक,ग्रेड–11	—	1	1
11	मुख्य लिपिक	3	—	3
12	वरिष्ट सहायक	15	—	15
13	वरिष्ट लिपिक	54	—	54
14	कनिष्ट लिपिक	57	—	57
15	लेखा लिपिक	7	—	7
16	चपरासी / चौकीदार / सफाई कार	42	—	42
17	दफतरी	3	—	3
18	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	8	1	9
19	प्रवर्तन चालक	6	3	9
20	प्रवर्तन सिपाही	25	77	102
	योगः–	261	119	380

उपरोक्त विवरण में कर संग्रह केन्द्र एवं प्रवर्तन दलों का विवरण भी सम्मिलित है ।

(पी०सी०शर्मा)
सचिव परिवहन
उत्तरांचल ।

25/1